राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency

संचिका संख्या - SHSB/PM/317/11
पत्रांक..................................

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक
-सह-
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,

पटना, दिनांक.........................

विषय : आसन्न बरसात एवं संभावित बाढ़ तथा उससे उत्पन्न जलजनित रोग/महामारी के रोकथाम हेतु ASVS, ARV, ORS, Halazone Tablet एवं Bleaching Powder के साथ महामारी के रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक औषधियों का भंडारण सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि राज्य में आसन्न बरसात एवं बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ तथा इसके कारण जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलने की संभावना होती है। इसके रोकथाम हेतु यह आवश्यक है कि पूर्व से प्रभावकारी कदम उठाये जाये ताकि बिमारियों का समुचित ईलाज ससमय किया जा सके। इस आपदा पर नियंत्रण हेतु राज्य के अस्पतालों में ASVS, ARV, ORS, Halazone Tablet एवं Bleaching Powder के साथ अन्य महामारी निरोधक आवश्यक औषधियों का भंडारण होना आवश्यक है।

2. उक्त के प्ररिप्रेक्ष्य में निदेशित है कि बरसात एवं संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिले महामारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं का भंडारण बाढ़ से पूर्व करना सुनिश्चित करें। जिन औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों की आपूर्ति बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किया जा रहा है, वैसे औषधियों का क्रय विहित प्रक्रियानुसार स्थानीय स्तर पर निविदा के माध्यम से बिहार वित्त नियमावली (संशोधित) 2005 एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय क्रय अनुदेशों का पालन करते हुये किया जाय।

3. बरसात एवं बाढ़ के दौरान सर्पदंश एवं सियार/कुत्ता के काटने की घटनाएँ बढ़ जाती है। अतएव इसके समुचित चिकित्सीय उपचार के निमित्त यह आवश्यक है कि सदर अस्पताल में ASVS एवं ARV के कम से कम 50 (पचास) भायल तथा अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ASVS एवं ARV के कम से कम 10 (दस) भायल का भंडारण किया जाय।

4. बरसात, संभावित बाढ़ एवं इससे उत्पन्न जलजनित बिमारियों से संबंधित औषधियों का बफर स्टॉक जिला औषधि भंडार में अनिवार्य रूप से रखा जाय। ताकि आकस्मिकता एवं अर्हनिश सेवा की स्थिति में जिला औषधि भंडार से जिलान्तर्गत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में इसकी आपूर्ति त्वरित गति से की जा सके।

5. इस संबंध में कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

ज्ञापांक ....1503....　　　　पटना, दिनांक....31.5.16

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से नियमित अनुश्रवण किया जाय।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5

कार्यपालक निदेशक
-सह-
सचिव, स्वास्थ्य

28/5/16